

राज्य होमियोपैथी परिषद् छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ होमियोपैथी परिषद् अधिनियम, 1976 (अनुकूलन आदेष 2001) के तहत् स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के अधीन गठित एक संविधिक निकाय

पता - शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, चिकित्सालय भवन, रायपुर , वेबसाईट-WWW.schcg.in ई-मेल registrar@schcg.in

//सूचना//

उपनाम परिवर्तन प्रक्रिया

परिषद् द्वारा जारी पंजीयन प्रमाणपत्र में उपनाम परिवर्तन किये जाने हेतु आवेदक को उपनाम परिवर्तन विषयक शपथ पत्र (नोटरी द्वारा सत्यापित), मूल पंजीयन प्रमाणपत्र, शुल्क के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। तदुपरांत आवेदक को नवीन पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा।

पता परिवर्तन प्रकिया

परिषद् द्वारा जारी पंजीयन प्रमाणपत्र में पता परिवर्तन हेतु संबंधित आवेदक को पता परिवर्तन विषयक शपथ पत्र (नोटरी द्वारा सत्यापित) एवं शुल्क के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। तदुपरांत आवेदक को पता परिवर्तन की सूचना प्रेषित की जावेगी।

(परिषद् द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. संजय शुक्ला)

रजिस्ट्रार

राज्य होमियोपैथी परिषद्,छत्तीसगढ़

रायपुर